

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
(आप.प्रक.क्रमांक :- 351/2017)
(संस्थित दिनांक :- 09/08/2017)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

01. रामप्रकाश सिंह गुर्जर पुत्र रघुनाथ सिंह गुर्जर, उम्र 62 वर्ष।
02. राजवीर सिंह गुर्जर पुत्र रामप्रकाश सिंह गुर्जर, उम्र 40 वर्ष।

निवासीगण :- ग्राम इटायदा, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक : 06/10/2017 को घोषित)

01. अभियुक्तगण रामप्रकाश एवं राजवीर पर भा.द.सं. की धारा 294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग II के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :- 23/07/2017 की शाम लगभग 06:00 बजे फरियादी निहाल सिंह का गौड़ा स्थित ग्राम इटायदा में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी निहाल सिंह को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण एवं विधि विरोधी किशोर कौशल एवं जसवंत के साथ मिलकर फरियादी निहाल सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्तगण ने लात-घूसों से एवं विधि विरोधी किशोर कौशल ने दाँतों से काटकर फरियादी निहाल सिंह को स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी निहाल सिंह को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 23/07/2017 की शाम लगभग 06:00 बजे फरियादी निहाल सिंह का गौड़ा स्थित ग्राम इटायदा में, आरोपीगण रामप्रकाश, राजवीर एवं विधि विरोधी किशोर कौशल एवं जसवंत द्वारा फरियादी निहाल सिंह से गाली-गलौच करने, उसकी लात-घूसों से मारपीट करने, दाँतों से काटने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी निहाल सिंह द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 176/2017 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग II।

सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। फरियादी निहाल सिंह के मेडीकल परीक्षण में दाँतो से काटने की चोट होने का उल्लेख होने के कारण आरोपीगण के विरुद्ध धारा 324 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। फरियादी निहाल सिंह, साक्षीगण गुलाब सिंह, वीर सिंह एवं रसाल सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्णकर आरोपीगण रामप्रकाश एवं राजवीर के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया एवं विधि विरोधी किशोर कौशल एवं जसवंत के विरुद्ध अभियोग पत्र किशोर न्यायबोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्तगण रामप्रकाश एवं राजवीर के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग II भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपीगण रामप्रकाश एवं राजवीर ने दिनांक :- 23/07/2017 की शाम लगभग 06:00 बजे फरियादी निहाल सिंह का गौड़ा स्थित ग्राम इटायदा में, सहअभियुक्तगण एवं विधि विरोधी किशोर कौशल एवं जसवंत के साथ मिलकर फरियादी निहाल सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में विधि विरोधी किशोर कौशल ने दाँतों से काटकर फरियादी निहाल सिंह को स्वेच्छया उपहति कारित की?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

06. फरियादी निहाल सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण रामप्रकाश, राजवीर एवं कौशल को जानता है, वह उसके गांव के ही है। साक्षी आगे कहता है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 09/09/2017 से लगभग डेढ़-दो माह पूर्व की होकर शाम लगभग 06:00 बजे की है। उस समय उसका आरोपीगण से पशु बांधने के उपर मुँहवाद हो गया था, जिस पर आरोपीगण ने उसकी लात-घूसों से मारपीट कर दी थी। साक्षी आगे कहता है कि जिसकी रिपोर्ट उसके द्वारा पुलिस थाना मौ में की गई थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका ईलाज कराया था एवं घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी निहाल सिंह अ.सा.01 ने आरोपीगण रामप्रकाश एवं राजवीर द्वारा दिनांक :- 23/07/2017 की शाम लगभग 06:00 बजे फरियादी निहाल सिंह का गौड़ा स्थित ग्राम इटायदा में, सहअभियुक्तगण एवं विधि विरोधी किशोर कौशल एवं जसवंत के साथ मिलकर विधि विरोधी किशोर कौशल द्वारा दाँतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी निहाल सिंह अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के है।

07. आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी निहाल सिंह अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

08. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपीगण रामप्रकाश एवं राजवीर ने दिनांक :- 23/07/2017 की शाम लगभग 06:00 बजे फरियादी निहाल सिंह का गौड़ा स्थित ग्राम इटायदा में, सहअभियुक्तगण एवं विधि विरोधी किशोर कौशल एवं जसवंत के साथ मिलकर फरियादी निहाल सिंह की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में विधि विरोधी किशोर कौशल ने दाँतों से काटकर फरियादी निहाल सिंह को स्वेच्छया उपहति कारित की।

09. अभियोजन आरोपीगण रामप्रकाश एवं राजवीर के विरुद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

10. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद